

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)**

New Delhi, October 07, 2014

NOTIFICATION

Issue of 9.75 per cent Government of India (Industrial Finance Corporation of India Ltd.) Special Security, 2021

No. F. 4(10)-W&M/2001: The Government of India hereby notifies that the Clause of “Transferability and Conversion” mentioned at Para 6 of the Notification issued on October 30, 2001 for the “9.75 per cent Government of India (Industrial Finance Corporation of India Ltd.) special security, 2021” is amended as under:

6. Transferability and Conversion

The Special Security shall be considered transferable or tradable and conversion of the security in any other form shall be permitted.

The other terms and conditions of the Notification No: F 4(10)-W&M/2001 dated October 30, 2001 shall remain unchanged.

(Dr. Rajat Bhargava)
Joint Secretary to the Government of India

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

**9.75 भारत सरकार (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड) विशेष प्रतिपूर्ति,
2021 का निर्गमन**

संख्या एफ. 4(10)-डब्ल्यू एंड एम/2001: भारत सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि 9.75 भारत सरकार (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड) विशेष प्रतिपूर्ति, 2021 के लिए 30 अक्टूबर, 2001 के जारी अधिसूचना के पैरा 6 में उल्लेखित खण्ड "हस्तांतरणीयता एवं अंतरण" निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

6. हस्तांतरणीयता एवं अंतरण

विशेष प्रतिभूति को हस्तांतरणीय या विक्रेय माना जाएगा और प्रतिभूति के किसी सम रूप में अंतरण की अनुमति होगी।

दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. 4(10)-डब्ल्यू एंड एम/2001 के अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगे।

(डॉ. रजत भार्गव)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार